प्रेषक,

श्री भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग लखनऊः दिनाँक–27 नवम्बर, 2000

महोदय,

अपको विदित ही है कि शहरी गरीबी निवारण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वतः रोजगार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ लगभग 5 करोड़ लोग शहरों में निवास करते है और जिनमें 1.25 करोड़ से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, इस योजना की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वित्तीय वर्ष 2000–2001 मे इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल से अक्टूबर, 2000 तक हुई प्रगति की जनपदवार समीक्षा करने पर पता चलता है। कि उपलब्धि लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत कम है। अतः जनपद स्तर पर इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सम्भवतः शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य तथा अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण जनपद स्तर पर अभी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका है। शासन की रोजगार संकल्प नीति एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के महत्व से आप भली भाँति परिचित है।

2. योजना के अन्तर्गत जनपदवार लक्ष्यों एवं उसके सापेक्ष माह–अक्टूबर, 2000 तक हुई प्रगति का विवरण संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा है कि कृपया जनपद स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(क) जिन जनपदों में अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष वांछित संख्या में आवेदन पत्र बैंक शाखओं को नहीं भेजे गये है, उनमें माह–दिसम्बर, 2000 के अंत तक वार्षिक लक्ष्य से कम से कम डेढ़ गुना ऋण आवेदन –पत्र बैंक शाखाओं को अवश्य भिजवा दिये जाये। छोटे कस्बों (नगर पंचायतों) में इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(ख) बैंक शाखाओं को प्रेषित आवेदन–पत्रों में अनवरत एवं प्रभावी अनुसरण तथा अनुश्रवण कर स्वीकृतियां जारी करायी जाये। समय–समय पर सम्बन्धित बैंकों के शाखा प्रबन्धकों की विशेष बैठके आयोजित कर ली जाये।

(ग) बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत आवेदन–पत्रों एवं उनके ऋण वितरण में भी पर्याप्त अन्तर है। अतः जिन मामलों में बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृतिया दे दी जाती है, उनमें त्वरित गति से ऋण वितरण कराया जाय ताकि योजना में वास्तिविक उपलब्धि हो सके।

(घ) इस येाजना में लाभार्थियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय।

(च) योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली में भी बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाय। इस हेतु सामुदायिक विकास समितिवार स्थानीय स्तर पर रिकवरी बैठके आयोजित करा ली जाय जिनमें बैंक प्रतिनिधि डूडा के अधिकारी एव0 सी0डी0एस0 द्वारा भाग लिया जाय।

3. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा इस योजना में पर्याप्त रूचि लेकर सक्रिय भागीदारी निभायी जायेगी ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्यों के अनुरूप शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तर प्रदेश

(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0–4261(1)/69–1–2000–01 (एस0जे0)/97 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रतिलिपि सलग्नों सहित आपको सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मण्डल स्तरीय समीक्षा के द्वारा योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्त

भवनिष्ठ,

समस्त मण्डलायुक्त (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

**(एस0आर0लाखा)**
सचिव

**अर्द्ध शा0प0सं0–4261(11)/69–1–2000–1(एस0जे0)/97 तददिनांक**

प्रिय महोदय,

उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रतिलिपि आपकों भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवनिष्ठ,

**(एस0आर0लाखा)**
सचिव

श्री नवनीत सहगल,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।